सिविल सेवा परीक्षा...

संस्कृति IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा...

संस्कृति IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

9555-124-124 sanskritiiasedu@gmail.com

प्रिय विद्यार्थी,

सबसे पहले संस्कृति IAS के 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' का हिस्सा बनने पर आपको बहुत बधाई।

सिविल सेवा परीक्षा, जिसे आई.ए.एस. परीक्षा के नाम से जाना जाता है; यह देश की प्रतिष्ठित लोक सेवाओं में चयन के लिये आयोजित होने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षा है। आज देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो सिविल सेवाओं में जाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। परंतु, गंभीरतापूर्वक इस परीक्षा की तैयारी करना हर किसी के लिये संभव नहीं हो पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिये दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ जैसे शहरों में रहना किसी भी निम्न-मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी के लिये संभवप्राय नहीं होता; दूसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की भी है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिये मुख्य समस्या समय की होती है क्योंकि कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी करने में डेढ़-दो वर्ष का समय लगता है, जबकि नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मिलनी प्राय संभव नहीं होती।

ऐसे ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS ने 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' की शुरुआत की है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कम फीस में विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स की पूरी पाठ्य सामग्री उनके घर पर भेजी जाती है। यह पाठ्य सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होती है। अगर कोई विद्यार्थी गंभीरता से इस पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है तो उसकी इतनी तैयारी निश्चित रूप से हो जाएगी कि वह सिविल सेवा परीक्षा को पास कर सके।

हालाँकि, किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में यह संशय उत्पन्न होना स्वभाविक है कि अगर इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर यह परीक्षा पास हो सकती है तो फिर कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? अत: यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सिर्फ संपूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्लासरूम प्रोग्राम में पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त विद्यार्थी की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिये कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे नियमित कक्षा, क्लास टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, शंका निवारण सत्र, नियमित रूप से अध्यापक से मिलकर तैयारी को बेहतर बनाने की सुविधा इत्यादि।

अत: 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' को क्लासरूम प्रोग्राम का विकल्प नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहरों में जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिये 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' अपनी प्रकृति में निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ विकल्प है।

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

विषय-सूची

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
13	संघ की कार्यपालिका (The Union Executive))	1-38
14	राज्य सरकार (State Government)	39-54
15	न्यायपालिका (Judiciary)	55-92
16	संघात्मक व्यवस्था (Federal System)	93-96
17	केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relation)	97-121
18	निर्वाचन (Election)	122-130
19	आपातकालीन प्रावधान (Emergency provision)	131-140
20	पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ (Panchayati Raj and Municipalities)	141-186
21	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (Comptroller & Auditor General and Central Vigilance Commission)	187-201
22	राजभाषा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक (Official Language, Administration in the Scheduled & Tribal Areas, National Symbol)	202-216

❑❑❑❑❑

विस्तृत अनुक्रम

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
13	**संघ की कार्यपालिका (The Union Executive))**	1-38
	• संघ की कार्यपालिका • राष्ट्रपति ➤ राष्ट्रपति का निर्वाचन ➤ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ➤ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन ➤ निर्वाचन की प्रक्रिया ➤ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद ➤ राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विनियमन की संसद की शक्ति ➤ राष्ट्रपति की शक्तियाँ ➤ राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति ➤ अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति पर सीमाएँ ➤ भारत और अमेरिका की महाभियोग प्रणाली में विषमता ➤ राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति ➤ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान • भारत का उपराष्ट्रपति ➤ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ➤ उपराष्ट्रपति के कार्य ➤ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ➤ उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया ➤ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों का एक साथ रिक्त होना ➤ भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना ➤ उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ • भारत का प्रधानमंत्री • उपप्रधानमंत्री का पद • केंद्रीय मंत्रिपरिषद् ➤ मंत्रिपरिषद् की संरचना ➤ किचन कैबिनेट ➤ मंत्रिमंडलीय समितियाँ • भारत का महान्यायवादी • भारत का सॉलिसिटर जनरल ➤ भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल	
14	**राज्य सरकार (State Government)**	39-54
	• राज्य की कार्यपालिका ➤ राज्यपाल ➤ राज्यपाल की नियुक्ति ➤ राज्यपाल के पद के लिये शर्तें ➤ राज्यपाल के पद की शपथ तथा कार्यकाल ➤ राज्यपाल की शक्तियाँ ➤ मुख्यमंत्री ➤ शपथ एवं कार्यकाल ➤ मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ ➤ राज्य मंत्रि-परिषद् ➤ संवैधानिक प्रावधान ➤ मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रि-परिषद् का गठन ➤ मंत्रियों का कार्यकाल एवं शपथ ➤ मंत्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व ➤ राज्य का महाधिवक्ता • राज्य विधानमंडल ➤ विधानसभा ➤ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये विधान सभा सीटों में आरक्षण ➤ विधान सभा का कार्यकाल ➤ विधानसभा सदस्य के लिये अर्हताएँ ➤ निरर्हताएँ ➤ दल-बदल के आधार पर निरर्हता ➤ विधान सभा की शक्तियाँ एवं कार्य ➤ धन विधेयक ➤ विधेयकों के सम्बंध में राज्यपाल की स्वीकृति ➤ राज्य विधानमंडल का सत्र ➤ विधान परिषद् ➤ राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
15	**न्यायपालिका (Judiciary)**	**55-92**
	• न्यायपालिका ➤ अवधारणा ➤ भारत में न्यायपालिका की संरचना ➤ उच्चतम न्यायालय ➤ न्यायिक सक्रियतावाद • न्यायिक पुनर्विलोकन ➤ अवधारणा ➤ न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ ➤ न्यायिक पुनर्विलोकन का संवैधानिक आधार ➤ न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताएँ ➤ 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा ➤ न्यायिक पुनर्विलोकन का आलोचनात्मक मूल्यांकन ➤ न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्त्व • जनहित याचिका ➤ जनहित याचिका की अवधारणा ➤ जनहित याचिका का अर्थ ➤ जनहित याचिका के सिद्धांत ➤ जनहित याचिका की विशेषताएँ ➤ जनहित याचिका के विकास में योगदान देने वाले कारक ➤ जनहित याचिका के चरण ➤ जनहित याचिका का विस्तार क्षेत्र ➤ जनहित याचिका के समक्ष चुनौतियाँ ➤ जनहित याचिका का दुरुपयोग रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश • उच्च न्यायालय ➤ उच्च न्यायालयों का गठन ➤ न्यायाधीशों की नियुक्ति ➤ न्यायाधीशों का कार्यकाल ➤ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ➤ कार्यकारी न्यायाधीश ➤ उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार • अधीनस्थ न्यायालय ➤ लोक अदालत ➤ परिवार न्यायालय ➤ ग्राम न्यायालय • अधिकरण	
16	**संघात्मक व्यवस्था (Federal System)**	**93-96**
	• परिचय • संघात्मक लोकतंत्र • संघवाद की मौलिक अवधारणा • भारतीय संविधान में संघवाद • भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ • भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
17	**केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relation)**	**97-121**
	• केंद्र-राज्य संबंध ➤ अवधारणा ➤ केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध ■ केंद्र और राज्य की विधियों का क्षेत्रीय विस्तार ■ केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विषयों का वितरण ■ अवशिष्ट शक्तियाँ ➤ सूचियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत ■ संघ की प्रमुखता का सिद्धांत ■ तत्त्व और सार का सिद्धांत ■ छद्म विधायन का सिद्धांत ■ राज्य सूची पर संसदीय विधान ■ राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण ➤ केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध ■ कार्यकारी शक्तियों का विभाजन ■ केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति ■ कृत्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व ■ केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय ■ अखिल भारतीय सेवाएँ ■ आपातकाल में प्रशासनिक संबंध ■ अन्य संवैधानिक उपबंध ■ संविधानेत्तर उपबंध ➤ केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध ■ वित्तीय संसाधनों का वितरण ■ केंद्र और राज्यों में राजस्वों का वितरण ■ राज्यों को अनुदान ■ वस्तु एवं सेवा कर परिषद् ■ वित्त आयोग ■ राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण ■ अंतर्राज्यीय कर-उन्मुक्तियाँ ■ केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लेने की शक्ति ■ आपातकाल में वित्तीय संबंध ➤ भारतीय संघीय व्यवस्था में टकराव के कारण ➤ प्रशासनिक सुधार आयोग ➤ सरकारिया आयोग ➤ पुंछी आयोग ➤ अंतर्राज्यीय विवाद ➤ अंतर्राज्यीय परिषद् ➤ क्षेत्रीय परिषदें ➤ पूर्वोत्तर परिषद् ➤ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 ➤ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बिल, 2019 ➤ नदी बोर्ड अधिनियम, 1956	
18	**निर्वाचन (Election)**	**122-130**
	• निर्वाचन ➤ लोकतंत्र और निर्वाचन ➤ संवैधानिक प्रावधान ➤ भारत में निर्वाचन की व्यवस्था ➤ निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण ➤ निर्वाचन आयोग ➤ निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासनिक मशीनरी ➤ निर्वाचन प्रक्रिया ➤ निर्वाचन विधियाँ	
19	**आपातकालीन प्रावधान (Emergency provision)**	**131-140**
	• अवधारणा • संवैधानिक प्रावधान ➤ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) ➤ अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर ➤ राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल : अनुच्छेद 356 ➤ वित्तीय आपातकाल : अनुच्छेद 360 • आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना	

इकाई	टॉपिक	पेज संख्या
20	**पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ (Panchayati Raj and Municipalities)**	**141-186**

- पंचायती राज
  - अवधारणा
  - स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य
  - स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास में संबंध
  - स्थानीय स्वशासन का विकास
  - स्वातंत्र्योत्तर काल
  - स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म
  - 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताएँ
  - 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान
  - पंचायती राज से सम्बंधित समस्याएँ
  - पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिये सुझाव
  - पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियाँ
  - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम, 2006
- नगरपालिकाएँ
  - शहरी स्थानीय निकाय की अवधारणा
  - नगरपालिकाओं का विकास
  - शहरी निकायों का महत्त्व
  - 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
  - 74वें संविधान संशोधन के अनिवार्य तथा स्वैच्छिक प्रावधान
  - शहरी शासन के प्रकार
  - स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद्
  - शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित समस्याएँ
  - शहरी निकायों के क्षमता निर्माण से सम्बंधित उपाय
  - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय समस्याएँ
  - वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये सुझाव
  - म्युनिसिपल बॉण्ड
- सहकारी समितियाँ
  - परिचय
  - सहकारी समितियों का निगमन
  - बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
  - बोर्ड का विघटन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन
  - सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण
  - विवरणियाँ
  - अपराध और दंड

21	**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (Comptroller & Auditor General and Central Vigilance Commission)**	**187-201**

- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
  - परिचय
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सम्बंधित अनुच्छेद
  - नियुक्ति एवं कार्यकाल
  - स्वतंत्रता
  - कर्त्तव्य और शक्तियाँ
    - वित्तीय प्रशासन
    - जवाबदेही सुनिश्चित करना
    - वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना
    - राजकोषीय निगरानी
    - लेखा परीक्षण नियमों का निर्माण
    - भ्रष्टाचार को उजागर करना
  - नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका को सीमित करने वाले कुछ मुद्दे
    - सरकारी निष्क्रियता
    - आवधिकता

	■ कम स्वतंत्रता ■ व्यय के बाद का लेखा परीक्षण ■ अनिवार्य औचित्य लेखा परीक्षण का अभाव ➤ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा सार्वजनिक निगम ➤ समकक्ष ब्रिटिश अधिकारी से तुलना ➤ पॉल एच. एप्पलबी की आलोचना ➤ विनोद राय (पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा सुझाए गए सुधार • केंद्रीय सतर्कता आयोग ➤ संरचना ➤ कार्यकाल ➤ पदमुक्ति एवं त्यागपत्र ➤ वेतन-भत्ते ➤ कार्य एवं शक्तियाँ ➤ केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र ➤ जाँच से सम्बंधित शक्तियाँ ➤ व्यय एवं वार्षिक रिपोर्ट ➤ शिकायत ➤ लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प/पर्दाफाश संकल्प के मुख्य बिंदु ➤ भ्रष्टाचार रोकने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम ➤ सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 ➤ सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015	
22	**राजभाषा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक (Official Language, Administration in the Scheduled & Tribal Areas, National Symbol)**	**202-216**
	• राजभाषा ➤ मुंशी आयंगर सूत्र ➤ संघ की भाषा ➤ न्यायपालिका की भाषा ➤ राजभाषा आयोग ➤ संसदीय राजभाषा समिति, 1957 ➤ राष्ट्रपति का आदेश ➤ राजभाषा अधिनियम, 1963 ➤ संसदीय राजभाषा समिति का गठन ➤ प्रादेशिक भाषाएँ ➤ विशेष निदेश ➤ संविधान की आठवीं अनुसूची ➤ शास्त्रीय भाषा ➤ त्रिभाषा सूत्र • अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र ➤ परिचय ➤ संवैधानिक प्रावधान ➤ अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन ➤ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन • राष्ट्रीय प्रतीक ➤ राष्ट्रीय ध्वज ➤ राजकीय-चिह्न ➤ राष्ट्रगान ➤ राष्ट्रीय गीत ➤ राष्ट्रीय पंचांग	

इकाई

13

संघ की कार्यपालिका
(The Union Executive)

- संघ की कार्यपालिका
- राष्ट्रपति
  - ➤ राष्ट्रपति का निर्वाचन
  - ➤ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
  - ➤ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन
  - ➤ निर्वाचन की प्रक्रिया
  - ➤ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद
  - ➤ राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विनियमन की संसद की शक्ति
  - ➤ राष्ट्रपति की शक्तियाँ
  - ➤ राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति
  - ➤ अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति पर सीमाएँ
  - ➤ भारत और अमेरिका की महाभियोग प्रणाली में विषमता
  - ➤ राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति
  - ➤ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान
- भारत का उपराष्ट्रपति
  - ➤ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
  - ➤ उपराष्ट्रपति के कार्य
  - ➤ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य
  - ➤ उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया
  - ➤ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों का एक साथ रिक्त होना
  - ➤ भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना
  - ➤ उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ
- भारत का प्रधानमंत्री
- उपप्रधानमंत्री का पद
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद्
  - ➤ मंत्रिपरिषद् की संरचना
  - ➤ किचन कैबिनेट
  - ➤ मंत्रिमंडलीय समितियाँ
- भारत का महान्यायवादी
- भारत का सॉलिसिटर जनरल
  - ➤ भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

संघ की कार्यपालिका (Union Executive)

सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका।

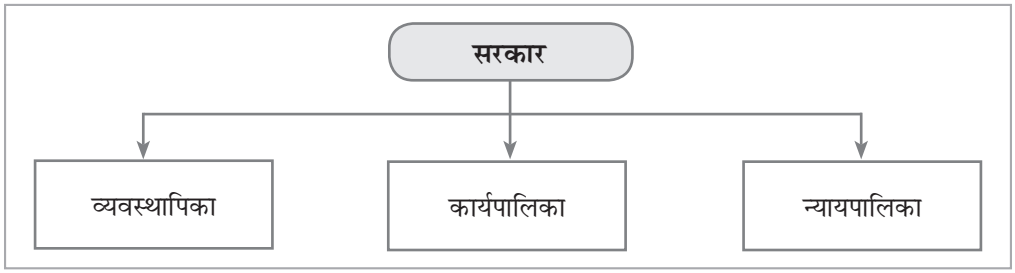

ने वर्ष 1967-81 के बीच कुल 256 अध्यादेशों को विधानमंडल से अनुमोदन किये बिना समय-समय पर पुनः जारी करके 14 वर्ष तक प्रभावी बनाए रखा था।

- कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2017 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश द्वारा किसी नागरिक के पक्ष में सदा विद्यमान रहने वाले अधिकार की रचना नहीं की जा सकती। किसी भी अध्यादेश को संसद या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत न करना संविधान के साथ धोखा व संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है क्योंकि अध्यादेश को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अध्यादेश न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर नहीं है, इसे अस्पष्टता, युक्तियुक्त, मनमाने या जनहित के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएगी। किंतु, व्यवहार में राष्ट्रपति के नाम से संपादित समस्त कार्यपालिका कार्य मंत्रिपरिषद् या संबद्ध विभागों द्वारा किये जाते हैं। सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक बनाने एवं किसी गतिरोध से बचाव के लिये ऐसा किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत उसे विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं–

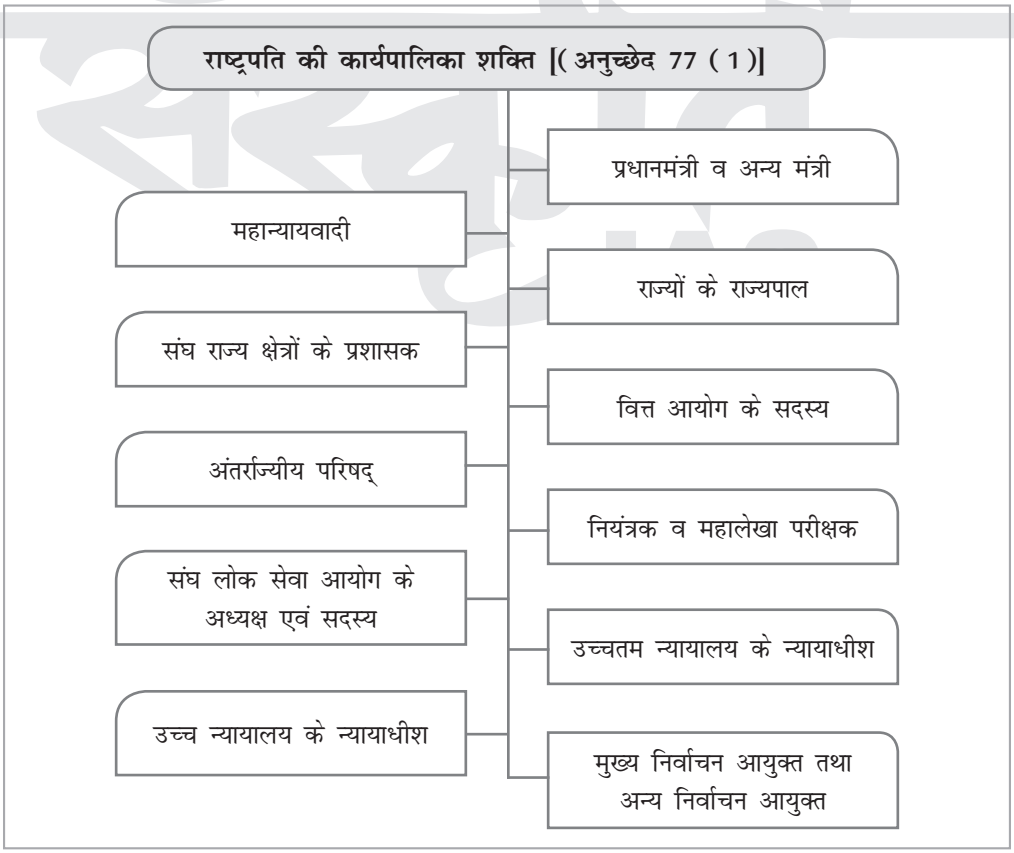

उपप्रधानमंत्री का पद (Office of the Deputy Prime Minister)

संविधान में उप-प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं है, यह एक संविधानेतर पद है। सरदार पटेल देश के पहले उप-प्रधानमंत्री थे। इन्हें पं. नेहरू की मंत्रिपरिषद् में यह पद प्राप्त हुआ था। उप-प्रधानमंत्री पद का प्रयोग राजनीतिक कारणों से होता रहा है विशेषतया गठबंधन सरकारों में गठबंधन सरकारों के दौर में यह ज्यादा ही प्रासंगिक हो जाता है। अभी तक कुल 8 व्यक्तियों को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। उप-प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले अंतिम व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी थे, जो वर्ष 2002-04 तक उप-प्रधानमंत्री के पद पर रहे।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Central Council of Ministers)

भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश प्रतिमान पर आधारित है। यहाँ सैद्धांतिक रूप में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद् की सहायता से करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी। अनुच्छेद 74 में प्रयोग किये गए शब्द 'एक मंत्रिपरिषद् होगी' से तात्पर्य है कि सदैव मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व रहेगा। संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है जब केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद् अनुपस्थित हो। हालाँकि राज्य के स्तर पर ऐसी स्थिति की कल्पना अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई है।

मंत्रिपरिषद् की संरचना (Structure of Council of Ministers)

संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा तथा अनुच्छेद 75(1) में यह उपबंध किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 में उल्लिखित मंत्रिपरिषद् एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया जाता है।

वहीं जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा जोड़ा गया।

संविधान में केवल मंत्रियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वहाँ मंत्रियों के किसी वर्गीकरण या श्रेणीकरण का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है परंतु व्यावहारिक स्तर पर मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

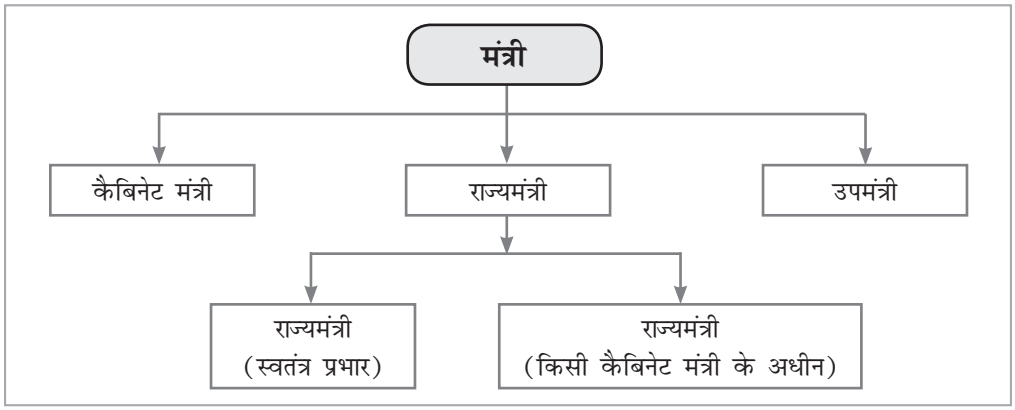

इकाई

14

राज्य सरकार
(State Government)

- राज्य की कार्यपालिका
  - राज्यपाल
  - राज्यपाल की नियुक्ति
  - राज्यपाल के पद के लिये शर्तें
  - राज्यपाल के पद की शपथ तथा कार्यकाल
  - राज्यपाल की शक्तियाँ
  - मुख्यमंत्री
  - शपथ एवं कार्यकाल
  - मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ
  - राज्य मंत्रि-परिषद्
  - संवैधानिक प्रावधान
  - मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रि-परिषद् का गठन
  - मंत्रियों का कार्यकाल एवं शपथ
  - मंत्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व
  - राज्य का महाधिवक्ता
- राज्य विधानमंडल
  - विधानसभा
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये विधान सभा सीटों में आरक्षण
  - विधान सभा का कार्यकाल
  - विधानसभा सदस्य के लिये अर्हताएँ
  - निरर्हताएँ
  - दल-बदल के आधार पर निरर्हता
  - विधान सभा की शक्तियाँ एवं कार्य
  - धन विधेयक
  - विधेयकों के सम्बंध में राज्यपाल की स्वीकृति
  - राज्य विधानमंडल का सत्र
  - विधान परिषद्
  - राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

राज्य की कार्यपालिका (State Excutive)

राज्यपाल (Governor)

भारतीय संविधान में राज्यों के प्रशासन के लिये केंद्र की तरह की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में भी केंद्र की तरह राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिये एक मंत्रि-परिषद् होती है।

- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्देद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक राज्यपाल हो सकता है।
- राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रि-परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ पदाधिकारियों में मंत्रि-परिषद् भी शामिल है।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)

- अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। साधारण शब्दों में राज्यपाल, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

- ऐसी परिस्थितियों में जब किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है उस स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त मुख्यमंत्री को विधानसभा में एक माह के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ता है अन्यथा सरकार बर्खास्त हो जाती है।
- मुख्यमंत्री को विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिये। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक उस पद पर रह सकता है।

शपथ (Oath)

राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री अपने शपथ में कहता है–

- मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूँगा।
- भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा।
- मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूँगा।
- मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।
- मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

कार्यकाल (Tenure)

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, किंतु राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पाँच वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। यदि सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
- विधानसभा में बहुमत नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर सकता है।
- मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के सदस्य को वेतन भत्ते सहित यात्रा, नि:शुल्क आवास, चिकित्सा सुविधाएँ आदि प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ (Functions and Powers of Chief Minister)

मंत्रि-परिषद् के सम्बंध में

मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रि-परिषद् का प्रमुख होता हैं। मंत्रि-परिषद् के सम्बंध में वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है–

- मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रियों के विभागों आवंटन एवं परिवर्तन करता है।
- मंत्रि-परिषद् की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है।
- मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है।
- मुख्यमंत्री सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ सहयोग एवं नियंत्रण भी करता है।
- मुख्यमंत्री यदि अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रि-परिषद् समाप्त हो जाएगी, हालाँकि किसी अन्य मंत्री के इस्तीफा देने से मंत्रि-परिषद् पर कोई असर नहीं पड़ता है।

राज्यपाल के सम्बंध में

मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रि-परिषद् के मध्य संवाद का मुख्य तंत्र है। मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है कि–

- राज्य के प्रशासन सम्बंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय, राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे प्रदान करना।

- संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि विधानमंडल का निर्माण विधान सभा एवं राज्यपाल से मिलकर होगा। प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होगा। ये दो प्रकार के होते हैं द्विसदनयी विधान मंडल में दो सदन होते हैं– विधान सभा (निम्न सदन) तथा विधान परिषद् (उच्च सदन), जबकि एक सदनीय विधानमंडल में एक ही सदन होता है, विधान सभा। वर्तमान में केवल छः राज्यों जैसे– उत्तर प्रदेश बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलांगना और कर्नाटक में द्विसदनीय विधान मंडल है। बाकी 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल कार्यरत है।

विधान सभा (Legislative Assembly)

संरचना (Composition)

अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। हालाँकि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे– संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये विधान सभा सीटों में आरक्षण (Reservation of Seat for SCs and STs)

- अनुच्छेद 332 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों की संख्या, राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा।
- मूल संविधान में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिये था, किंतु इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाता है।
- 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों में आरक्षण को बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है।

विधान सभा का कार्यकाल (Duration of Legislative Assembly)

- राज्य विधान सभा का कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष का होता है, किंतु यदि राज्यपाल चाहे तो निर्धारित समय से पहले भी विधान सभा भंग कर सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल वर्ष बढ़ा सकती है। आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है यानी कि आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर विधान सभा का दोबारा चुनाव हो जाना चाहिये।

विधानसभा सदस्य के लिये अर्हताएँ (Qualification for Membership of the State Legislature)

- अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधान सभा सदस्य के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ अनिवार्य है–
  - ➤ उसे भारतीय नागरिक होना चाहिये।
  - ➤ 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  - ➤ न्यायालय ने उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया हो।
  - ➤ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद ने अन्य अर्हताएँ निर्धारित की है–
    1. विधान सभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिये।
    2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिये यदि वह आरक्षित सीट के लिये चुनाव लड़ रहा हो। हालांकि इस समुदाय के व्यक्ति सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ने के लिये योग्य है।

निरर्हताएँ (Disqualification)

संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार, कोई विधान सभा सदस्य अयोग्य या निरर्ह होगा यदि–

- ➤ वह केंद्र या राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण करता है।
- ➤ वह न्यायालय के अनुसार विकृतचित्त है या दिवालिया है।

इकाई

15

न्यायपालिका
(Judiciary)

- न्यायपालिका
  - अवधारणा
  - भारत में न्यायपालिका की संरचना
  - उच्चतम न्यायालय
  - न्यायिक सक्रियतावाद
- न्यायिक पुनर्विलोकन
  - अवधारणा
  - न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ
  - न्यायिक पुनर्विलोकन का संवैधानिक आधार
  - न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताएँ
  - 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा
  - न्यायिक पुनर्विलोकन का आलोचनात्मक मूल्यांकन
  - न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्त्व
- जनहित याचिका
  - जनहित याचिका की अवधारणा
  - जनहित याचिका का अर्थ
  - जनहित याचिका के सिद्धांत
  - जनहित याचिका की विशेषताएँ
  - जनहित याचिका के विकास में योगदान देने वाले कारक
  - जनहित याचिका के चरण
  - जनहित याचिका का विस्तार क्षेत्र
  - जनहित याचिका के समक्ष चुनौतियाँ
  - जनहित याचिका का दुरुपयोग रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश
- उच्च न्यायालय
  - उच्च न्यायालयों का गठन
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
  - कार्यकारी न्यायाधीश
  - उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
- अधीनस्थ न्यायालय
  - लोक अदालत
  - परिवार न्यायालय
  - ग्राम न्यायालय
- अधिकरण

न्यायपालिका (Judiciary)

अवधारणा (Concept)

समाज में व्यक्तियों, समूहों तथा सरकार के बीच विवाद होना सामान्य बात है तथा यह भी सर्वमान्य है कि इन विवादों का समाधान एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाना चाहिये। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की यही भूमिका होती है कि वह विधि के शासन और विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे।

संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान का मूल तत्त्व है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, हालाँकि इन शक्तियों या उपबंधों की व्याख्या सरकारें अपने हित या पक्ष में कर सकती हैं और सरकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिये भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय नामक संस्था का उल्लेख है, जिसका मूलभूत कार्य केंद्र-राज्य विवादों को निष्पक्षता से सुलझाना है।

इसके अतिरिक्त संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, अत: उच्चतम न्यायालय को 'संविधान का संरक्षक' भी कहा जाता है।

ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुत: 'सामाजिक क्रांति के संरक्षक' का भार सौंपा गया है। यह सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है।

भारत में न्यायपालिका की संरचना (Judicial Structure in India)

भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है, अर्थात् एक ही न्यायतंत्र केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को लागू करता है। अत: केंद्र और राज्यों की भिन्न-भिन्न न्यायपालिकाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, अमेरिकी संविधान में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। वहाँ संघ की विधियों को लागू करने के लिये संघीय न्यायालय है, जबकि राज्य की विधियों को लागू करने के लिये राज्य के न्यायालय हैं।

भारत में न्यायपालिका के 3 मुख्य स्तर हैं, जिनमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, मध्यवर्ती पर उच्च न्यायालय तथा निचले पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं, किंतु सभी अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं।

न्यायिक संरचना

उच्चतम न्यायालय (शीर्षतम)

- इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में इनकी प्रमुख भूमिका।
- किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगा सकता है।
- मुकदमों का स्थानांतरण कर सकता है।

↓

उच्च न्यायालय (मध्यवर्ती)

- अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों पर सुनवाई।
- अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
- राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई।

↓

ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय

- ज़िले में दायर मुकदमों की सुनवाई।
- अधीनस्थ न्यायालयों जैसे सिविल और आपराधिक न्यायालयों के निर्णयों पर सुनवाई।

ऐसे विवादों को हल करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है।

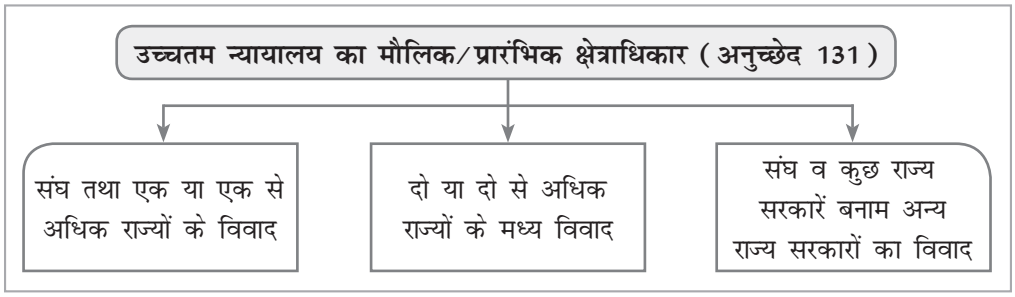

उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित विवाद शामिल नहीं होते–

- अंतर्राज्यीय जल विवाद,
- वित्त आयोग से संबंधित विवाद,
- केंद्र एवं राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति से संबद्ध विवाद,
- केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन के समझौते से संबंधित विवाद,
- केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति।

रिट संबंधी क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)

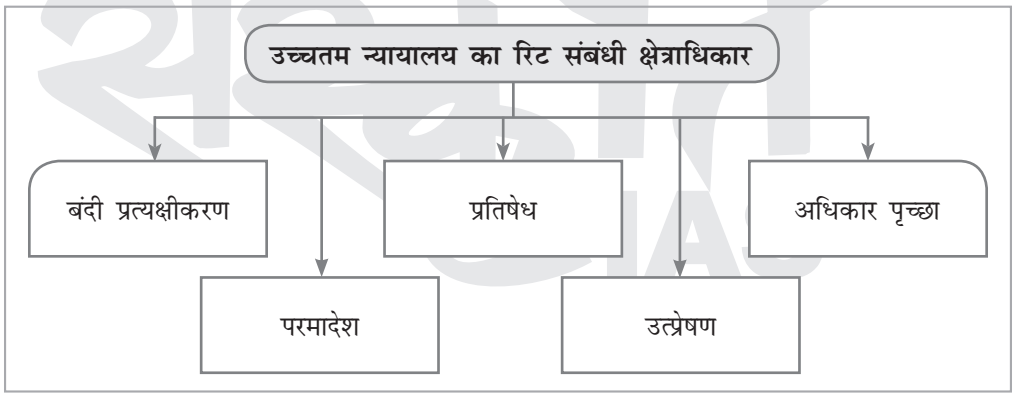

अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक न्याय पाने के लिये सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के कारण उच्चतम न्यायालय को 'नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक' कहा जाता है।

उच्चतम न्यायालय पाँच प्रमुख रिट जारी करता है–

- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

- **न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों में कटौती नहीं की जा सकती–** संसद या राज्य विधानमंडल को सिर्फ न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्तियाँ प्राप्त है, कम करने की नहीं।

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

- भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत सबसे निचले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं।
- उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार कार्य करने के कारण ही इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)

- संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संघठन एवं कार्यप्रणाली आदि का उल्लेख है।
- अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार, कार्य एवं शक्तियाँ मुख्यत: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 से प्राप्त करते हैं।

ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of District Judges)

उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति करते हैं। ज़िला न्यायाधीश के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ अनिवार्य हैं–

- उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिये।
- सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Other Judges)

ज़िला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं।

संरचना और क्षेत्राधिकार (Structure and Jurisdiction)

राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा के संगठनात्मक स्वरूप, क्षेत्राधिकार आदि निर्धारित करता है। अधीनस्थ न्यायालय की संरचना राज्यों में अलग-अलग पाई जाती है किंतु उच्च न्यायालय से नीचे सिविल और आपराधिक न्यायालय के तीन स्तर होते हैं–

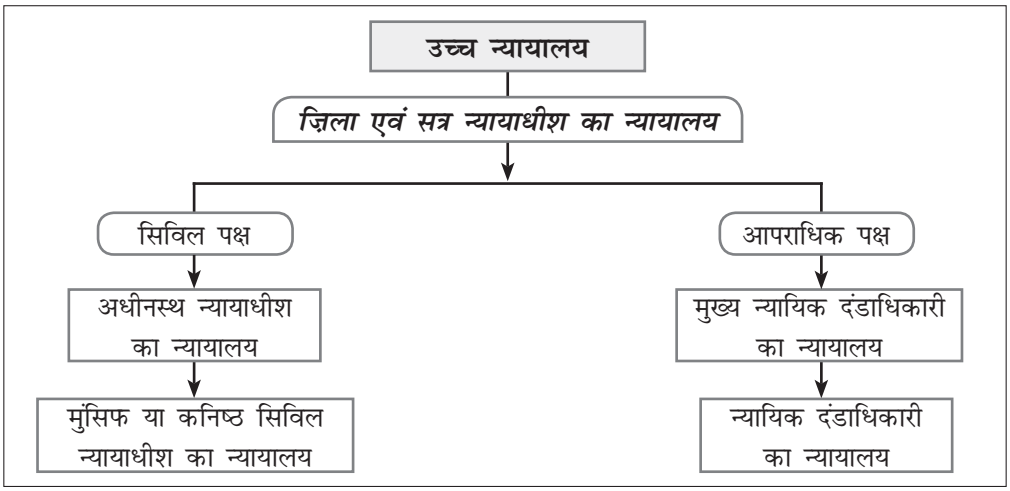

इकाई

16

संघात्मक व्यवस्था
(Federal System)

- परिचय
- संघात्मक लोकतंत्र
- संघवाद की मौलिक अवधारणा
- भारतीय संविधान में संघवाद
- भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग होती हैं। संघात्मक शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियाँ विभाजित होती हैं और दोनों सरकारें स्वतंत्रतापूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघ (Federation) शब्द एक लैटिन शब्द 'फोएडस' से लिया गया है जिसका अर्थ होता है– संधि या समझौता।

संघात्मक लोकतंत्र (Federal Democracy)

जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो नवनिर्मित संस्था 'संघ' (Federation) कहलाती है, जैसे– संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। 'संयुक्त राज्य अमेरिका' संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है। वर्ष 1787 में, जब अमेरिकी संविधान सभा का गठन हुआ, तब वहाँ राज्यों की संख्या 13 थी जो वर्तमान में बढ़कर 50 हो गई है। संघीय शासन व्यवस्था में एक अन्य उदाहरण कनाडा का है। कनाडा 10 राज्यों (मूलत: 4 राज्य) से निर्मित संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है।

संघात्मक शासन के प्रकार (Types of Federal Government)

आधार (Ground)	महापरिसंघ (Confederation)	संघ (Federation)	संघ (Union)
केंद्र की स्थिति	समिति शक्ति	संतुलित शक्ति	निर्णायक या मज़बूत शक्ति
राज्यों की स्थिति	निर्णायक शक्ति	संतुलित शक्ति	समिति शक्ति
संविधान संशोधन शक्ति	राज्यों के पास	केंद्र और राज्यों के बीच वितरित	केंद्र के पास
अवशिष्ट शक्तियाँ	राज्यों के पास	केंद्र और राज्यों के बीच वितरित	केंद्र के पास
उदाहरण	ऑस्ट्रेलिया	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत-कनाडा

संघवाद की मौलिक अवधारणा (Basic Concept of Federalism)

- संघवाद एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएँ समाहित होती हैं। इनमें एक प्रांतीय स्तर पर होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। संघीय देशों में दोहरी

नागरिकता का प्रचलन होता है। इनमें एक प्रांतीय नागरिकता होती है तथा दूसरी राष्ट्रीय नागरिकता। किंतु, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती हैं। इनमें एक क्षेत्रीय होती है तथा दूसरी राष्ट्रीय।

- संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत लिखित संविधान द्वारा निर्धारित होता है। इस व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है तथा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों, जैसे– रक्षा, वैदेशिक क्षेत्र और मुद्रा का दायित्व केंद्र के पास होता है, जबकि स्थानीय महत्त्व के विषय, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य आदि राज्यों के पास होते हैं।
- केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने तथा उनके निराकरण के लिये स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है।

भारतीय संविधान में संघवाद (Federalism in Indian Constitution)

भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि आधारों पर एक विविधतापूर्ण देश है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही प्रमुख नेताओं के मध्य इस बात पर सहमति थी कि भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश पर शासन करने के लिये शक्तियों का केंद्र व राज्यों के मध्य बँटवारा आवश्यक होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था से विभिन्न क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोगों को शासन में सहभागिता तथा स्वशासन का अवसर मिलेगा। देश इन की विविधता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध सहयोगपूर्ण होंगे, इससे विविधता को मान्यता देने के साथ-साथ एकता को भी बल मिलेगा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ' (Union of the States) है। भारत के संविधान में 'फेडरेशन' (Federation) शब्द की जगह 'यूनियन' (Union) शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी में दोनों शब्दों का अर्थ 'संघ' ही होता है, लेकिन बुनियादी अंतर केंद्र और राज्यों को आवंटित की गई शक्तियों में होता है।
- इन संविधान निर्माताओं ने व्यावहारिक तौर पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, किंतु भारतीय संघवाद का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वस्तुतः कनाडा का मॉडल एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल से अलग है।
- भारत में शासन व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक, इस विषय पर विद्वानों की अलग-अलग राय है, लेकिन सत्य यह है कि भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

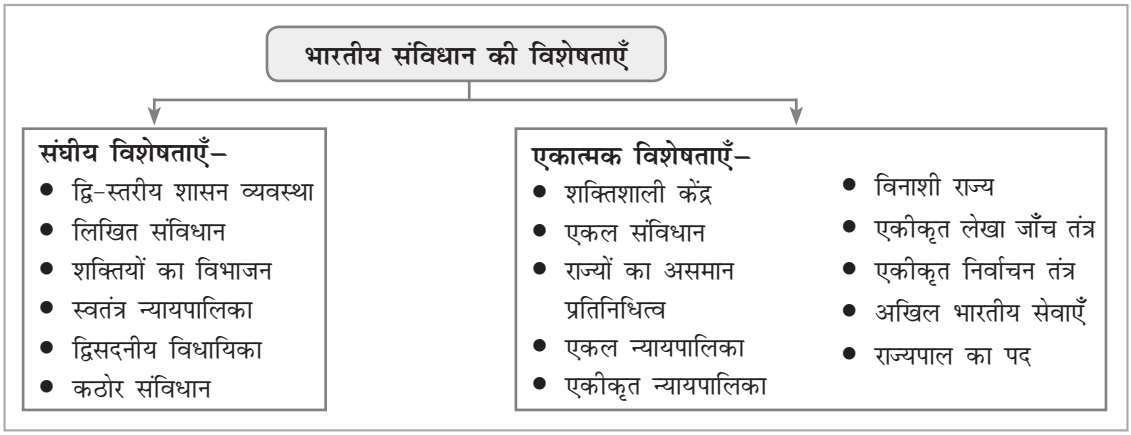

इकाई

17

केंद्र-राज्य संबंध
(Centre-state relation)

- केंद्र-राज्य संबंध
  - ➤ अवधारणा
  - ➤ केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध
    - ■ केंद्र और राज्य की विधियों का क्षेत्रीय विस्तार
    - ■ केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विषयों का वितरण
    - ■ अवशिष्ट शक्तियाँ
  - ➤ सूचियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत
    - ■ संघ की प्रमुखता का सिद्धांत
    - ■ तत्त्व और सार का सिद्धांत
    - ■ छद्म विधायन का सिद्धांत
    - ■ राज्य सूची पर संसदीय विधान
    - ■ राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण
  - ➤ केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध
    - ■ कार्यकारी शक्तियों का विभाजन
    - ■ केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति
    - ■ कृत्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व
    - ■ केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय
    - ■ अखिल भारतीय सेवाएँ
    - ■ आपातकाल में प्रशासनिक संबंध
    - ■ अन्य संवैधानिक उपबंध
    - ■ संविधानेत्तर उपबंध
  - ➤ केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध
    - ■ वित्तीय संसाधनों का वितरण
    - ■ केंद्र और राज्यों में राजस्वों का वितरण
    - ■ राज्यों को अनुदान
    - ■ वस्तु एवं सेवा कर परिषद्
    - ■ वित्त आयोग
    - ■ राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण
    - ■ अंतर्राज्यीय कर-उन्मुक्तियाँ
    - ■ केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लेने की शक्ति
    - ■ आपातकाल में वित्तीय संबंध
  - ➤ भारतीय संघीय व्यवस्था में टकराव के कारण
  - ➤ प्रशासनिक सुधार आयोग
  - ➤ सरकारिया आयोग
  - ➤ पुंछी आयोग
  - ➤ अंतर्राज्यीय विवाद
  - ➤ अंतर्राज्यीय परिषद्
  - ➤ क्षेत्रीय परिषदें
  - ➤ पूर्वोत्तर परिषद्
  - ➤ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
  - ➤ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बिल, 2019
  - ➤ नदी बोर्ड अधिनियम, 1956

केंद्र-राज्य संबंध (Centre-state relation)

अवधारणा (Concept)

- भारत के संविधान द्वारा देश में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ (यूनियन) होगा।
- संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो स्तरीय सरकारों की स्थापना की गई है– एक संपूर्ण राष्ट्र के लिये, जिसे संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरे, प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिये, जिसे राज्य सरकार कहते हैं।
- संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत संघीय सरकार के लिये संघ सूची, राज्य सरकारों के लिये राज्य सूची तथा दोनों सरकारों के लिये समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है।

राज्य सूची पर संसदीय विधान (Parliamentary Legislation on State List)

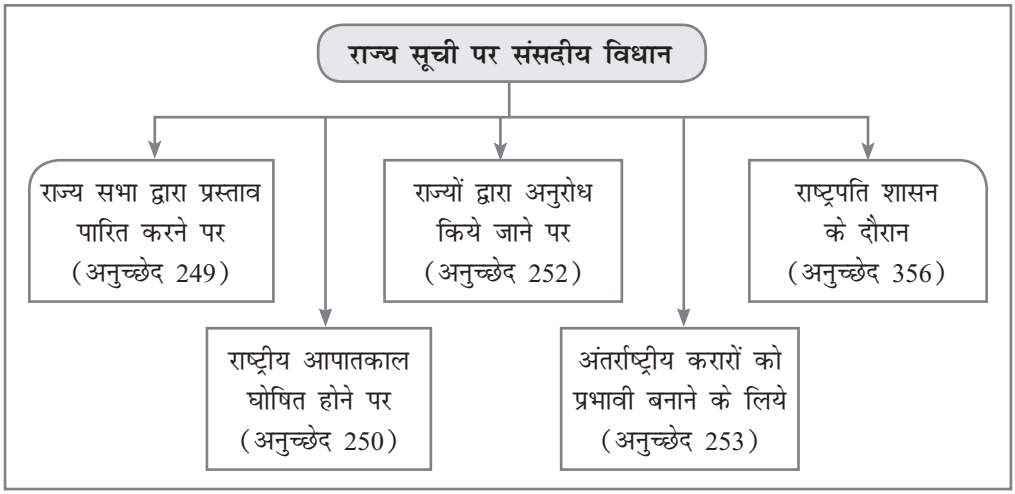

संविधान संसद को निम्नलिखित पाँच असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है–

- **राज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर–** अनुच्छेद 249 के अनुसार– यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तब संसद भारत या भारत के किसी भाग के लिये उस विषय पर विधि निर्मित कर सकेगी।
  - ➤ राज्य सभा का ऐसा संकल्प एक वर्ष के लिये प्रभावी रहता है, परंतु राज्य सभा प्रत्येक बार संकल्प पारित करके इस समयावधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकेगी।
  - ➤ संसद द्वारा पारित कोई विधि संकल्प के प्रभावी न रहने पर 6 माह से ज़्यादा समय तक प्रभावी नहीं रहेगी।
- **राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर–** अनुच्छेद 250 के अनुसार– आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की शक्ति होगी।
  - ➤ संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि आपातकाल समाप्ति की घोषणा हो जाने पर 6 माह के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी।
- **राज्यों द्वारा अनुरोध किये जाने पर–** अनुच्छेद 252 के अनुसार– यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने यह संकल्प पारित कर दिया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है, तब संसद उस विषय पर विधि बना सकती है।
  - ➤ भविष्य में अन्य राज्य भी संसद द्वारा पारित ऐसी विधि को अपने विधानमंडल में संकल्प पारित कर स्वीकार कर सकते हैं।
  - ➤ ऐसी विधि का संशोधन या निरसन सिर्फ संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिये–** अनुच्छेद 253 के अनुसार– संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के कार्यान्वयन के लिये, चाहे वह राज्य सूची का ही विषय क्यों न हो, भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की शक्ति है।
- **राष्ट्रपति शासन के दौरान–** 356 के अनुसार– जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति यह घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोग की जाएंगी।

- राज्य कार्यपालिका में कार्य करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है।
- धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित किये जाते हैं।

भारतीय संघीय व्यवस्था में टकराव के कारण (Causes of Conflict in Indian Federal System)

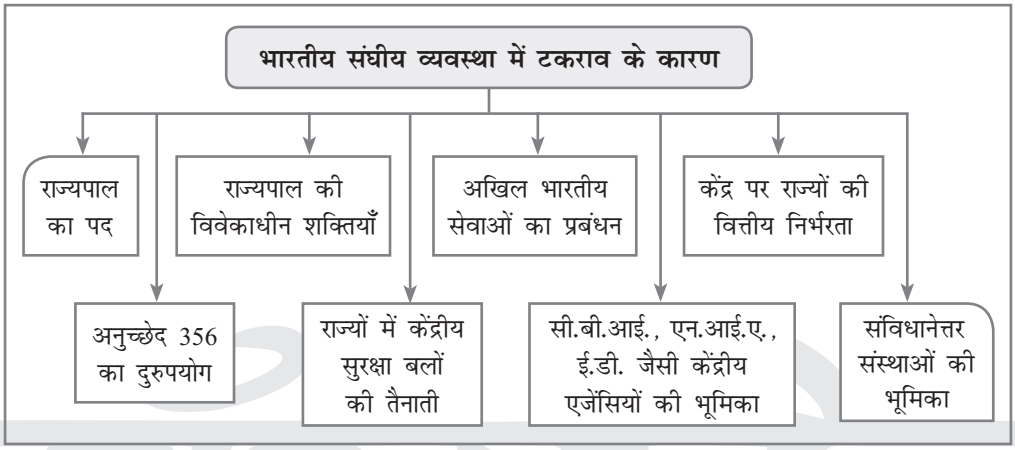

- केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधानों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान ने केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की हैं। हालाँकि भारतीय संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ अधिक है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती कालखंड के दो दशकों तक केंद्र और राज्यों, दोनों में कांग्रेस पार्टी का शासन था। इस दौरान नए राज्यों की माँग के बावजूद केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सामान्य रहे। राज्यों को उम्मीद थी कि वे केंद्र की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिये प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदान के माध्यम से विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकेंगे। लेकिन वर्ष 1967 के बाद राज्यों में सत्ता-परिवर्तन के कारण केंद्र-राज्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। गैर-कांग्रेसी सरकारों ने शासन और शासकीय क्षेत्रों में राज्यों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता देने की माँग की तथा केंद्र द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति एवं राज्य के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया। परिणामतः समय-समय पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव ने विवादों को जन्म दिया।
- केंद्र और राज्य के बीच टकराव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं–
  - राज्यपाल का पद तथा उसकी भूमिका।
  - राज्यों में अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
  - राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ।
  - राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती।
  - राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका एवं उनका प्रबंधन।
  - केंद्रीय एजेंसियों, जैसे– सी.बी.आई., एन.आई.ए., ई.डी. आदि की भूमिका।
  - केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता।
  - नीति आयोग की भूमिका।
  - 7वीं अनुसूची के विषयों में केंद्र की महत्त्वपूर्ण स्थिति।

इकाई

18

निर्वाचन
(Election)

- लोकतंत्र और निर्वाचन
- संवैधानिक प्रावधान
- भारत में निर्वाचन की व्यवस्था
- निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण
- निर्वाचन आयोग
- निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासनिक मशीनरी
- निर्वाचन प्रक्रिया
- निर्वाचन विधियाँ

लोकतंत्र और निर्वाचन (Democracy and Election)

- लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है– "लोगों के द्वारा, लोगों के लिये एवं लोगों का शासन"। लोकतंत्र की बुनियादी मज़बूती 'स्वतंत्र', 'निष्पक्ष' और समयोचित निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित होती है।
- निर्वाचन का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें नागरिक अपने ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो देश का शासन-प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में, शासन व्यवस्था को चलाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की विधि निर्वाचन कहलाती है। लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की तरफ से नीतियाँ बनाते हैं एवं निर्णय लेते हैं।
- भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचन कराने में संविधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संविधान में निर्वाचन से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान दिये गए हैं जबकि कुछ अन्य प्रावधान बनाने का कार्य संसद को सौंपा गया है।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision)

भारतीय संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन से सम्बंधित निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं–

- अनुच्छेद 324 के अनुसार– संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचक-नामावली तैयार करने और इन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति, निर्वाचन आयोग में निहित होगी। निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक-नामावली (Electoral Roll) होगी तथा किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नामावली में शामिल किये जाने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही, इन आधारों पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावली में शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात् प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो विधि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। संविधान या किसी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल अनिवास, चित्तविकृति (Unsoundness), अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण (Corrupt or Illegal Practice) के आधार पर ही मत देने से वंचित किया जा सकता है।

- निर्वाचन की तिथियाँ घोषित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- राजनीतिक दलों की मान्यता एवं निर्वाचन चिह्न से सम्बंधित विवादों का निस्तारण करना।
- राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दलों का दर्ज़ा प्रदान करना।
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुए एक वर्ष हो जाने के बाद निर्वाचन कराने के सम्बंध में राष्ट्रपति को सलाह देना।
- संसद सदस्यों की अयोग्यता के सम्बंध में राष्ट्रपति को तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के सम्बंध में राज्यपाल को सलाह देना।
- निर्वाचन के समय राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिये आदर्श आचार संहिता घोषित करना।
- चुनावों में धोखाधड़ी, धनबल के प्रयोग, मतदान केंद्र पर लूटपाट, हिंसा या अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना।

निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासनिक मशीनरी
(Administrative Machinery for Conducting Elections)

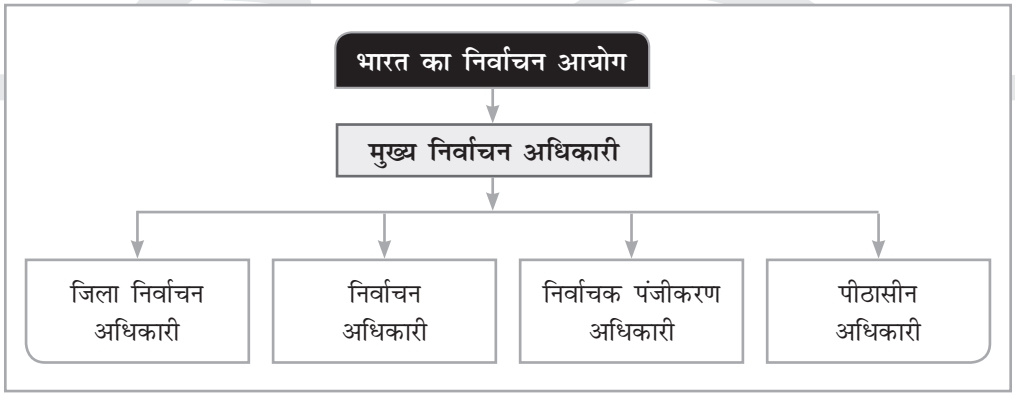

भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI)

अनुच्छेद 324(1) के अनुसार– संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचक-नामावली तैयार करने और इन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण करने की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Officer - CEO)

किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चुनावों का पर्यवेक्षण करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार की सलाह पर निर्वाचन आयोग द्वारा किया की जाती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer - DEO)

जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में जिले में निर्वाचन का पर्यवेक्षण करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है।

इकाई

19

आपातकालीन प्रावधान
(Emergency Provision)

- अवधारणा
- संवैधानिक प्रावधान
  - ➤ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  - ➤ अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर
  - ➤ राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल : अनुच्छेद 356
  - ➤ वित्तीय आपातकाल : अनुच्छेद 360
- आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना

अवधारणा (Concept)

- देश में उत्पन्न किसी असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिये संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और राज्यों की समस्त शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र के पास हो जाता है।
- आपातकाल के दौरान शासन व्यवस्था के स्वरूप का संघात्मक से एकात्मक रूप में परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है।
- डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि "अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएँ, संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ, भारत का संविधान, समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। भारतीय संविधान को इस प्रकार निर्मित किया गया कि सामान्यत: यह संघीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है।"

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली एवं संविधान की सुरक्षा करना है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है–

1. राष्ट्रीय आपातकाल
2. राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन
3. वित्तीय आपातकाल

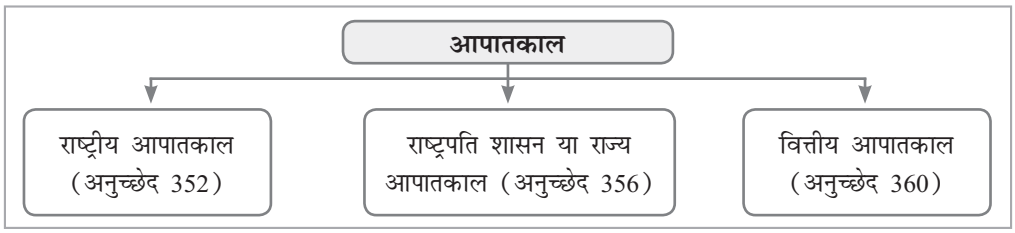

- अनुच्छेद 365 के अनुसार– यदि कोई राज्य, केंद्र के दिये गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है और वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

संसद की सहमति तथा राष्ट्रपति शासन की समयावधि
(Consent of the Parliament and Time-Period of the President Rule)

- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होता है। यदि 2 माह तक राष्ट्रपति शासन को संसद से सहमति नहीं मिलती है तो वह स्वत: समाप्त हो जाता है।
- एक बार संसद से सहमति मिल जाने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है। इसी उद्देश्य का प्रस्ताव पुन: पारित कर इसे 6 अतिरिक्त माह के लिये बढ़ाया जा सकता है किंतु, किसी भी दशा में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता।
- किसी राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये संसद निम्नलिखित दशाओं में प्रस्ताव पारित कर सकती है–
  - ➤ यदि पूरे देश या इसके किसी भू-भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो।
  - ➤ यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।

नोट– दोनों स्थितियाँ मौजूद होने पर भी राष्ट्रपति शासन की समयावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रपति शासन का प्रभाव (Impact of the President Rule)

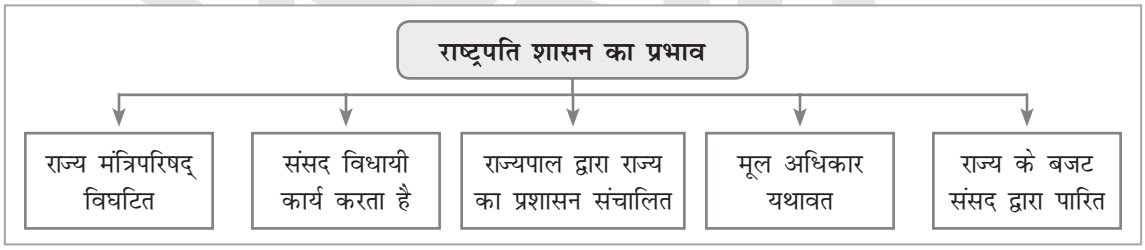

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति शासन का राज्य के शासन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है–

- राज्य की मंत्रिपरिषद् विघटित हो जाती है और राष्ट्रपति को राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- संसद, राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है या राष्ट्रपति इन्हें स्वयं भी प्रयोग कर सकता है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन संचालित करता है।
- संसद, राज्य के बजट और विधेयकों को पारित करती है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- संसद का सत्रावसान होने पर राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है।
- संसद, राज्य की संचित निधि से 'व्यय की मंज़ूरी' के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत कर सकती है।

इकाई

20

पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ
(Panchayati Raj and Municipalities)

- पंचायती राज
  - अवधारणा
  - स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य
  - स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास में संबंध
  - स्थानीय स्वशासन का विकास
  - स्वातंत्र्योत्तर काल
  - स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म
  - 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताएँ
  - 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान
  - पंचायती राज से सम्बंधित समस्याएँ
  - पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिये सुझाव
  - पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियाँ
  - पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम, 2006
- नगरपालिकाएँ
  - शहरी स्थानीय निकाय की अवधारणा
  - नगरपालिकाओं का विकास
  - शहरी निकायों का महत्त्व
  - 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
  - 74वें संविधान संशोधन के अनिवार्य तथा स्वैच्छिक प्रावधान
  - शहरी शासन के प्रकार
  - स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद्
  - शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित समस्याएँ
  - शहरी निकायों के क्षमता निर्माण से संबंधित उपाय
  - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय समस्याएँ
  - वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये सुझाव
  - म्युनिसिपल बॉण्ड
- सहकारी समितियाँ
  - परिचय
  - सहकारी समितियों का निगमन
  - बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
  - बोर्ड का विघटन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन
  - सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण
  - विवरणियाँ
  - अपराध और दंड

पंचायती राज (Panchayati Raj)

अवधारणा (Concept)

- स्थानीय स्वशासन का सामान्य अर्थ होता है, लोगों की स्वयं की शासन व्यवस्था। अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं के निदान के लिये निर्मित ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। अन्य शब्दों में, 'स्वशासन' स्थानीय स्तर पर समुचित प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी है।
- भारत में स्थानीय शासन का अस्तित्व एक व्यवस्था के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। इसके रूप भिन्न-भिन्न हो सकते है किंतु इसकी भावना हमारे सामजिक-सांस्कृतिक लोकाचार में हमेशा से रही है।

- प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
- लगभग सभी पदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। यह आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगा।

73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of 73rd Constitution Amendment)

पंचायतों से सम्बंधित शब्दों की परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से सम्बंधित निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गई हैं–

- **ज़िला–** किसी राज्य का ज़िला।
- **ग्राम सभा–** ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से सम्बंधित निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय।
- **मध्यवर्ती स्तर–** ग्राम और ज़िला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर जिसे राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से मध्यवर्ती स्तर घोषित किया जाए।
- **पंचायत–** पंचायत से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुच्छेद 243ख(B) के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो)।
- **पंचायत क्षेत्र–** किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र।
- **जनसंख्या–** अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित (Ascertained) की गई जनसंख्या, जिसके आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं।
- **ग्राम–** राज्यपाल द्वारा लोक-अधिसूचना के माध्यम से घोषित कोई गाँव या गाँवों का समूह।

ग्राम सभा (Gram Sabha)

- अनुच्छेद 243A पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 'ग्राम सभा' का प्रावधान करता है। किसी ग्राम की निर्वाचक-नामावली या मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से निर्मित निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। अन्य शब्दों में, किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन में मतदान करने वाले व्यक्ति ग्राम सभा सदस्य होते हैं।
- अनुच्छेद 243A के अनुसार राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार है कि वह ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित करें।

पंचायतों की त्रि-स्तरीय संरचना (Three-Tier Structure of Panchayats)

- अनुच्छेद 243B(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
- अनुच्छेद 243B(2) के अनुसार, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकेगा।
- पंचायती राज व्यवस्था के त्रि-स्तरीय ढाँचे के अंतर्गत सबसे नीचे अर्थात पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है।

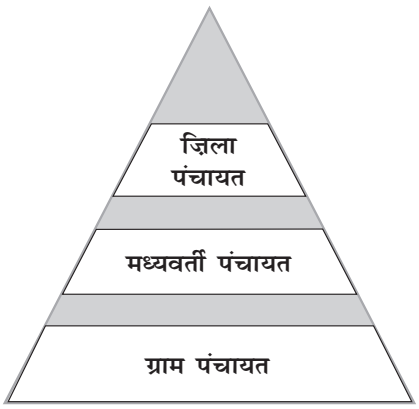

74वें संविधान संशोधन के अनिवार्य तथा स्वैच्छिक प्रावधान
(Mandatory and Voluntary Provisions of 74th Constitutional Amendment)

क्र. स.	अनिवार्य प्रावधान	स्वैच्छिक प्रावधान
1.	नगरपालिकाओं का गठन।	पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण।
2.	चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।	नगरपालिकाओं के अध्यक्ष की निर्वाचन की रीति।
3.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।	संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्त्व
4.	महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटों का आरक्षण।	12वीं अनुसूची के विषय।
5.	5 वर्ष का कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन।	महिलाओं के लिये आरक्षण को एक तिहाई से अधिक बढ़ाया जाना
6.	वार्ड समितियों निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्त्व तथा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन।	वार्ड समितियों के अतिरिक्त किसी समिति का गठन।
7.	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।	वित्तीय शक्तियाँ या सहायता प्रदान करना।
8.	राज्य निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग का गठन।	नगरपालिकाओं के लेखे रखे जाने तथा उनकी संपरीक्षा की रीति।
9.	जिला योजना समिति गठित करना जिसमें 80 प्रतिशत सदस्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य हो।	जिला योजना समिति की संरचना, कार्य और अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति।
10.	महानगर योजना समिति गठित करना जिसमें दो-तिहाई सदस्य पंचायतों के अध्यक्ष और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य हो।	महानगर योजना समिति की संरचना, कार्य और अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति।

शहरी शासन के प्रकार (Types of Urban Governance)

शहरी क्षेत्रों में शासन के लिये निम्नलिखित निकाय हैं–

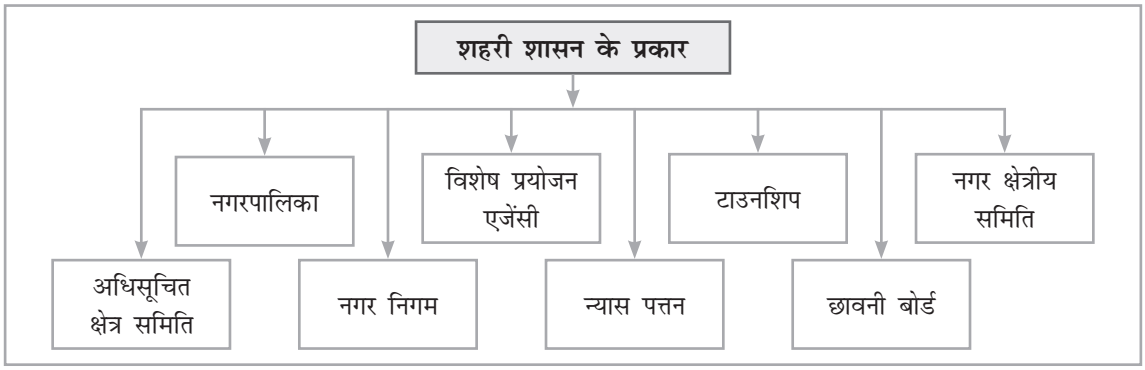

इकाई

21

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (Comptroller & Auditor General and Central Vigilance Commission)

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- परिचय
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सम्बंधित अनुच्छेद
- नियुक्ति एवं कार्यकाल
- स्वतंत्रता
- कर्त्तव्य और शक्तियाँ
  - वित्तीय प्रशासन
  - जवाबदेही सुनिश्चित करना
  - वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना
  - राजकोषीय निगरानी
  - लेखा परीक्षण नियमों का निर्माण
  - भ्रष्टाचार को उजागर करना
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका को सीमित करने वाले कुछ मुद्दे
  - सरकारी निष्क्रियता
  - आवधिकता
  - कम स्वतंत्रता
  - व्यय के बाद का लेखा परीक्षण
  - अनिवार्य औचित्य लेखा परीक्षण का अभाव
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा सार्वजनिक निगम
- समकक्ष ब्रिटिश अधिकारी से तुलना
- पॉल एच. एप्पलबी की आलोचना
- विनोद राय (पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा सुझाए गए सुधार

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- संरचना
- कार्यकाल
- पदमुक्ति एवं त्यागपत्र
- वेतन-भत्ते
- कार्य एवं शक्तियाँ
- केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र
- जाँच से सम्बंधित शक्तियाँ
- व्यय एवं वार्षिक रिपोर्ट
- शिकायत
- लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प/ पर्दाफाश संकल्प के मुख्य बिंदु
- भ्रष्टाचार रोकने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम
- सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011
- सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)

परिचय (Introduction)

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है, जिसे 'कैग' (CAG) के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा निकाय है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्त्तव्य होता है कि भारत के संविधान और संसद के तहत वित्तीय प्रशासन को कायम रखें।
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि "नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे

कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च न किया जा सके।"

- ध्यातव्य है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है और कार्यपालिका पर विधायिका के इस नियंत्रण का प्रमुख आधार यह है कि विधायिका वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करती है। अत: अपने उत्तरदायित्व के उचित निर्वहन के लिये विधायिका को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए सरकार के वित्तीय व्यवहारों के गुण-दोष निरूपण करके उसके परिणामों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है।

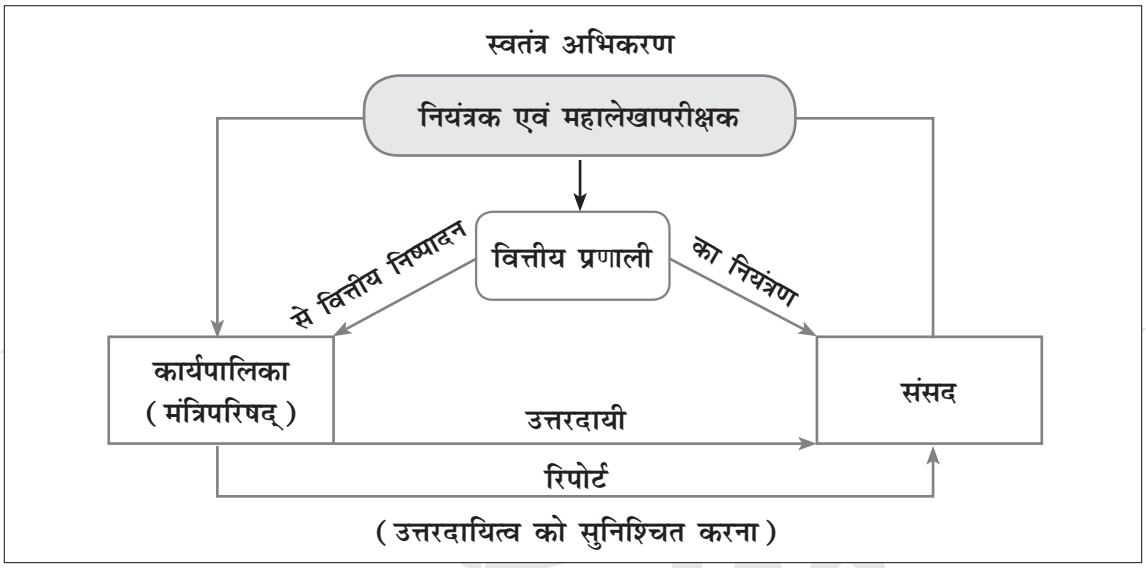

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

- यदि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पद के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दें तो यह पूर्णत: स्पष्ट है कि भारत में मौजूद सार्वजनिक लेखा और अंकेक्षण की व्यवस्था एवं भारत का लेखा तथा अंकेक्षण विभाग हमें औपनिवेशिक शासन से विरासत में प्राप्त हुए हैं।
- सर्वप्रथम वर्ष 1753 में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 'लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग' (Audit and Accounting Department) की स्थापना की गई। इसका कार्य व्यापारिक आय-व्यय का परीक्षण तथा नियंत्रण करना था। इसने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के तीन प्रेसीडेंसी के खाते तैयार करने के लिये अलग-अलग संस्थाओं का इस्तेमाल किया।
- वर्ष 1857 में सभी खातों के लिये ज़िम्मेदार एक अलग सामान्य खाता विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 1858 में (जिस वर्ष ब्रिटिशर्स/ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था।) महालेखाकार का कार्यालय (Office of the Accountant General) स्थापित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखापरीक्षक (Auditor General) के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा महालेखापरीक्षक पद को वैधानिक समर्थन देकर उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि की गई।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा संघीय ढाँचे में प्रांतीय महालेखापरीक्षकों का प्रावधान करके महालेखापरीक्षक की स्थिति को और मज़बूत कर दिया गया।

इकाई

22

राजभाषा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक (Official Language, Administration in the Scheduled & Tribal Areas, National Symbol)

राजभाषा
- मुंशी आयंगर सूत्र
- संघ की भाषा
- न्यायपालिका की भाषा
- राजभाषा आयोग
- संसदीय राजभाषा समिति, 1957
- राष्ट्रपति का आदेश
- राजभाषा अधिनियम, 1963
- संसदीय राजभाषा समिति का गठन
- प्रादेशिक भाषाएँ
- विशेष निदेश
- संविधान की आठवीं अनुसूची
- शास्त्रीय भाषा
- त्रिभाषा सूत्र

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- परिचय
- संवैधानिक प्रावधान
- अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन
- जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन

राष्ट्रीय प्रतीक
- राष्ट्रीय ध्वज
- राजकीय-चिह्न
- राष्ट्रगान
- राष्ट्रीय गीत
- राष्ट्रीय पंचांग

राजभाषा (Official Language)

संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

मुंशी आयंगर सूत्र (Munshi Ayyangar Formula)

- संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति में 16 सदस्य थे। राजभाषा का प्रारूप तैयार करने में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपालस्वामी आयंगर द्वारा विशेष भूमिका निभाने के कारण राजभाषा संबंधी भाग को मुंशी आयंगर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 14 सितम्बर को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।

संघ की भाषा (Language of the Union)

- अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही होगा।
- संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।
- संविधान के प्रारम्भ होने के पंद्रह वर्ष के पश्चात् भी संसद विधि द्वारा, किसी विशेष प्रयोजन के लिये अंग्रेज़ी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकेगी।

राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbol)

राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

राष्ट्रीय ध्वज

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियाँ हैं। जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र बना है, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तम्भ पर बने चक्र से लिया गया है। अशोक चक्र विशेषत: प्रिंटेड या उपयुक्त कढ़ाई किया हुआ होना चाहिये, जो सफेद पट्टी के बीच में ध्वज के दोनों ओर से स्पष्ट दिखाई दे। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिये। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया।

राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले गैर-सांविधिक अनुदेशों के अतिरिक्त, प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12वाँ अनुदेश) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69वाँ अनुदेश) के प्रावधान भी लागू होते हैं।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में विधि, परंपराओं, औपचारिकताओं और अनुदेशों सभी को एकीकृत किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य विधियों के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है।

राजकीय-चिह्न (State Emblem)

राजचिह्न

भारत का राजचिह्न अशोक के सारनाथ स्थिति सिंह स्तम्भ की अनुकृति है। मूल रूप से इस स्तम्भ में चार शेर हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए हैं। इनके नीचे घंटी के आकार के कमल पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक वृषभ और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ सुसज्जित हैं और इन मूर्तियों के मध्य भाग में 'धर्म चक्र' सुशोभित है।

भारत सरकार ने 26 जनवरी, 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ की शीर्ष अनुकृति को राजचिह्न के रूप में स्वीकृत किया। जिस आकृति को राजचिह्न के रूप में स्वीकार किया गया, उसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं। पट्टी के मध्य में चक्र उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर एक वृषभ और बाईं ओर एक घोड़ा है।

फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है- 'सत्य की ही विजय होती है।' भारत के राजचिह्न के उपयोग को भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत विनियमित किया जाता है।

राष्ट्रगान (National Anthem)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।

यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत में कुल पाँच पद हैं। प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है जो इस प्रकार है–

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं जो इस प्रकार हैं–

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।

राष्ट्रीय गीत (National Song)

राष्ट्रगीत अर्थात् 'वंदे मातरम् की रचना बंकिमचंद्र चटर्जी ने किया था। वंदे मातरम् की भाषा संस्कृत है, जिसे 'जन-गण-मन' के समान ही मान्यता प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है–

वंदे मातरम्!
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम्!
शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम्!

संस्कृति IAS

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

पढ़िये देश की सर्वश्रेष्ठ टीम से!

दिल्ली के साथ अब प्रयागराज में भी...

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

फाउन्डेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

लाइव बैच भी उपलब्ध

वैकल्पिक विषय

इतिहास द्वारा – श्री अखिल मूर्ति	**भूगोल** द्वारा – श्री कुमार गौरव
राजनीति विज्ञान द्वारा – श्री राजेश मिश्रा	**दर्शन शास्त्र** द्वारा – श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS)

सीसैट

कुल कक्षाएँ

120+

नियमित रिवीज़न

सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषयों के लिये ऑनलाइन/पेनड्राइव कोर्स भी उपलब्ध

यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा

टेस्ट सीरीज़

ऑफलाइन/ऑनलाइन

सामान्य अध्ययन एवं सीसैट

हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों माध्यम

Demo एक निःशुल्क डेमो टेस्ट

sanskritiIAS.com
sanskritiIAS app

हेड ऑफिस
636, भू-तल,
मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र
7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.